



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23102024-258177
CG-DL-E-23102024-258177

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 857]
No. 857]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 22, 2024/आश्विन 30, 1946
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 22, 2024/ASVINA 30 1946

भारतीय मानक ब्यूरो
(उपभोक्ता मामले विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर 2024

संदर्भ: HQ-PUB014/1/2020-PUB-BIS (1063)— भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है इसमें संलग्न अनुसूची में दिये गये मानकों में संशोधन किये गये हैं।

अनुसूची

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	संशोधनों की संख्या एवं तिथि	संशोधनों की प्रतिस्थापन तिथि	तिथि जब तक मानक तीसरे स्तंभ में इंगित संशोधन के बिना भी लागू रहेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आई एस/आई एस ओ 8596 : 2017 नेत्र प्रकाशिकी — दृश्य दृष्टता परीक्षण	संशोधन संख्या 1 अक्टूबर 2024	06 अक्टूबर 2024	05 अप्रैल 2025

	— मानक और नैदानिक ऑप्टोटाइप एवं इसका प्रस्तुतीकरण (पहला पुनरीक्षण)			
--	--	--	--	--

चित्रा गुप्ता, वैज्ञानिक जी एवं उप महानिदेशक (हॉलमार्किंग)

[विज्ञापन-III/4/असा./626/2024-25]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October 2024

Ref: HQ-PUB014/1/2020-PUB-BIS (1063)—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Amendments to Indian standards, particulars of which are given in schedule hereto annexed have been established.

SCHEDULE

Sl. No.	No., Year & Title of the Indian Standard	No. and Month/Year of the Amendment	Date of Establishment of the Amendment	Date till which the standard without the amendment as mentioned in column 3 shall remain in force
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IS/ISO 8596 : 2017 Ophthalmic Optics — Visual Acuity Testing — Standard and Clinical Optotypes and their Presentation (First Revision)	Amendment No. 1 October 2024	06 October 2024	05 April 2025

CHITRA GUPTA ,Scientist G & DDG (Hallmarking)

[ADVT.-III/4/Extty./626/2024-25]